सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2017/30 दर्ज तिथिः— 09.03.2012

1. सत्यनारायण पुत्र खींवाराम जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
2. हरीराम पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
3. शंकर पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
4. विमला पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
5. सम्पत पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
6. सावित्री पुत्री गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
7. मंजू पुत्री गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
8. नवरत्न पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
9. पुरूषोतम पुत्र गोरखा जाति माली निवासी चूरू हाल वार्ड नं. 16, भादरा जिला हनुमानगढ़
10. गिरधारी पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
11. चानण पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
13. गणेश पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
14. जगदीश पुत्र पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
15. शारदा पुत्री पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
16. कोशल्या पुत्री पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
17. माया पुत्री पेमाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
18. सुन्दरलाल पुत्र खींवाराम जाति माली वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
19. झूमरमल पुत्र खींवाराम जाति माली वार्ड नं. 3, भादरा जिला हनुमानगढ़
20. शुभकरण पुत्र नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
21. रामावतार पुत्र नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
22. भंवरी पुत्री नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
23. संतोष पुत्री नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
24. शीलू पुत्री नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
25. होली देवी पत्नि नंदाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
26. भानू पुत्र सोहन जाति माली वार्ड नं. 4, पंखा रोड़, चूरू
27. पनालाल पुत्र गोरखाराम जाति माली निवासी चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

28. चन्दनकुमार पुत्र गोरखाराम जाति माली निवासी चूरू
29. द्रोपती देवी पुत्री चोथूराम जाति माली निवासी चूरू
30. रामी देवी पुत्री चोथूराम जाति माली निवासी चूरू
31. पार्वती देवी पुत्री चोथूराम जाति माली निवासी चूरू
32. ज्याना देवी पुत्री चोथूराम जाति माली निवासी चूरू
33. महावीर पुत्र गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
34. बनवारीलाल पुत्र गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
35. ताराचंद पुत्र गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
36. हनुमान पुत्र गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
37. प्रभूराम पुत्र गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
38. रतनी पुत्री गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
39. निर्मला पुत्री गिनीदेवी जाति माली निवासी चूरू
40. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
41. गिरधारीलाल पुत्र गोरखाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 4, चूरू
42. भंवरी पुत्री मोहनी दोहिती खींवाराम

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री कृपालसिंह शेखावत
अप्रार्थी सं. 20 से 32:— श्री हेमसिंह शेखावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 35 तादादी 8 बीघा 13 बिश्वा, ख.नं. 36 तादादी 12 बीघा 17 बिश्वा, ख.नं. 38 तादादी 20 बीघा 15 बिश्वा रोही मोजा चूरू में स्थित है जो प्रार्थी तथा अप्रार्थीगगण संयुक्त खातेदारी की है।
2. उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर सदामत से ही प्रार्थी द्वारा या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती रही है परन्तु अप्रार्थीगण ने उसके कब्जे काश्त में बाधा डालना शुरू कर दिया है तथा बेदखल करने की धमकी दे रहे तथा इस कृषि भूमि को बेचने की धमकी दे रह है अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा इनका मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए न्यायालय में यह प्रा. पत्र स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये पेश किया जा रहा है। प्रार्थी को सूचना मिली है कि इस कृषि भूमि को विक्रय करने का करार अप्रार्थीगण ने कर लिया है [illegible] कृषि भूमि का विक्रय रोका जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

3. उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा अभी तक इसका विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ख. नं. 36 में अपने हिस्से की भूमि काश्त करता रहा है प्रार्थी का इस भूमि में 1 / 20 हिस्सा खातेदारी का है अगर बिना विभाजन विक्रय किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी।

4. प्रार्थी इस भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए प्राथम दृष्टया मामला उसके पक्ष का है तथा अगर यह भूमि विक्रय हो जाती है तो सबसे ज्यादा असुविधा भी प्रार्थी को ही होगी। इसलिए जरिये स्थगन आदेश अप्रार्थीगण को रोका जांना आवश्यक है कि वे उक्त कृषि भूमि को विक्रय नहीं करे, ना प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करे ना उसके कब्जा काश्त में बाधा डाले।

अतः प्रा. पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जरिये स्थगन आदेश अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विभाजन से पूर्व कृषि भूमि ख.नं. 35, 36, 38 कुल तादादी 42 बीघा 5 बिस्वा को विक्रय नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, ना ही उक्त कृषि भूमि का रहन व्यय या मुन्तकिल करे तथा ना ही ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

5. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 20 से 32 की ओर से श्री हेमसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 33 से 39, 41 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कल्ला ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 28 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 42 की ओर से अधिवक्ता श्री सरजीवणसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 19 की ओर की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसमें प्रार्थना–पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में स्व. खींवाराम का 1 / 4 हिस्सा स्व. खींवाराम के जीवनकाल में हुए मौखिक पारिवारिक फैसलनामा बंटवारा के अनुसार यह कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 व 8, 9 के पिता स्व. गोरखाराम के हिस्से में आई थी। जिसे प्रतिवादीगण काश्त करते है। स्व. खींवाराम के पुत्रगण स्व. पैमाराम व सुन्दरमल झुमरमल व वादी सत्यनारायण का इस 1 / 4 हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। स्व. गोरखाराम की पुत्रियों ने भी अपना हिस्सा अपने भाई स्व. गोरखाराम के नाम छोड़ दिया है मौखिक पारिवारिक फैसलनामा में स्व. पेमाराम व सुन्दरमल, झुमरमल एवं वादी सत्यनारायण को अन्य सम्पतियों दे दी गई थी। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित समस्त तथ्य गलत लिखे है जो अस्वीकार किये जाते है। वादी का दावा में वर्णित कृषि भूमि में 1 / 20 हिस्सा या अन्य कोई हिस्सा नहीं है बल्कि इस मद में वर्णित सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्सा की कृषि भूमि के प्रतिवादीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण का ही इस कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त है। जवाब दावा की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत लिखे है जो समस्त अस्वीकार किये जाते है। दावा में वर्णित कृषि भूमि में वादी 1 / 20 हिस्सा या अन्य कोई हिस्सा नहीं रहा है ना वादी में इस कृषि भूमि को कभी काश्त किया है। स्व. खींवाराम के 1 / 4 हिस्सा की कृषि भूमि उनके वारिसान में हुए मौखिक पारिवारिक फैसलनामा में स्व. गोरखाराम के हिस्से में आई है जिनके प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण वारिसान है। इस प्रकार इस 1 / 4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ही है वादी को घोषणात्मक व खातेदारी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी द्वारा पेश यह दावा खारिज योग्य है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे है जो समस्त अस्वीकार किये जाते है। पक्षकारान ... प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं ... इस कृषि भूमि के किसी भी हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

पर काबिज है बल्कि यह 1/4 हिस्सा कृषि भूमि स्व. गोरखाराम के हिस्सा पांति में आई हुई है जिसे स्व. गोरखाराम के वारिसान ही काश्त करते है जो सम्पूर्ण कृषि भूमि में से दक्षिणी तरफ अर्थात पीपलाना जोहड़ा की तरफ है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई।

6. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जरिये स्थगन आदेश अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विभाजन से पूर्व कृषि भूमि ख.नं. 35, 36, 38 कुल तादादी 42 बीघा 5 बिस्वा को विक्रय नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, ना ही उक्त कृषि भूमि का रहन व्यय या मुन्तकिल करे तथा ना ही ऐसा कार्य या उपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 19 की ओर की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर पक्षकारान के बीच हुए मौखिक बाहमी बंटवारा में प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है ना वादी इस कृषि भूमि के किसी भी हिस्सा पर काबिज है बल्कि यह 1/4 हिस्सा कृषि भूमि स्व. गोरखाराम के हिस्सा पांति में आई हुई है जिसे स्व. गोरखाराम के वारिसान ही काश्त करते है जो सम्पूर्ण कृषि भूमि में से दक्षिणी तरफ अर्थात पीपलाना जोहड़ा की तरफ है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया। यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 35, 36 व 38 रोही मोजा चूरू स्थित है। प्रार्थी द्वारा स्वयं को उक्त भूमि में 1/20 हिस्से का संयुक्त खातेदार बताते हुए स्थगन आदेश की मांग की गई है। दूसरी ओर, अप्रार्थीगण ने जवाब–प्रार्थना–पत्र में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवाद किया है कि स्व. खींवाराम के जीवनकाल में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हो चुका था, जिसके अनुसार विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा स्व. गोरखाराम के हिस्से में आया और उसी के वारिसान वर्तमान में काश्तकार हैं।

स्थगन आदेश के सिद्धान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए निम्न तीन तत्वों का होना आवश्यक है कि

- प्रथम दृष्टया मामला
- सुविधा का संतुलन
- अपूरणीय क्षति

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने कब्जा–काश्त का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। खातेदारी हिस्सेदारी स्वयं विवादित है। मौखिक बंटवारे का प्रतिवाद भी अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है।

जहाँ तक सुविधा संतुलन का प्रश्न है, विवादित भू[illegible] काश्तकारों को उनके उपयोग से रोकना उचित नहीं होगा जब तक कि प्रार्थी अपना अधिकार [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति के संबंध में भी यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का अधिकार सिद्ध होने पर उसे विधि अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

आदेश है कि

अतः, उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार—I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested